भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
30.07.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1784 का उत्तर

लोको पायलटों की कार्य स्थितियां

1784. सुश्री सयानी घोष:
श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोको पायलटों के लिए कोई निश्चित कार्य समय और अवकाश नीति है और यदि हाँ, तो उसमें एक दिन/सप्ताह में कुल कार्य घंटे, कोई अवकाश और शौचादि जाने के लिए समय, आदि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह देखते हुए कि बड़ी रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें अक्सर मानवीय भूल को कारण माना जाता है, लोको पायलटों की ड्यूटी के दौरान भोजन करने और शौच के लिए अवकाश प्रदान करने की लंबे समय से लंबित मांग को अस्वीकार कर दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तनाव कम करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी या उच्च गति वाले मार्गों पर दो लोको पायलटों या सहायक पायलटों की अनिवार्य तैनाती पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार लोको पायलटों की इस शिकायत से अवगत है कि उन्हें अनिवार्य 16 घंटे का मुख्यालय विश्राम और 30 घंटे का आवधिक विश्राम ठीक से नहीं दिया जाता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों को पर्याप्त आराम प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) वर्तमान में रेलवे में लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) लोको पायलट भारतीय रेल परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो यात्री और माल यातायात की सुरक्षित और कुशल आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रेल लोको पायलटों के लिए उचित कार्य परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लोको पायलट निरंतर कोटि के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। रेल अधिनियम-1989 की धारा 132(2) में निरंतर कोटि के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 54 घंटे प्रति सप्ताह की ड्यूटी घंटे निर्धारित किए गए हैं।

"कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि", 2005 के नियम-8 में लोको पायलटों के लिए प्रति सप्ताह चौदह कार्य दिवस की दो-साप्ताहिक अवधि में औसतन 52 घंटे की ड्यूटी के घंटे होने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं अर्थात् भारतीय रेल में अन्य "निरंतर" कोटि के कर्मचारियों के लिए कार्य के घंटे अधिकतम 54 घंटे से कम हैं।

रेल सेवा (उदारीकृत अवकाश) नियम, 1949, जो रेल कर्मचारियों की अवकाश पात्रता के प्रावधानों को नियंत्रित करते हैं, में छुट्टियों के प्रकार निर्दिष्ट हैं, जैसे औसत वेतन अवकाश (एलएपी), अर्ध औसत वेतन अवकाश (एलएचएपी), परिवर्तित अवकाश, असाधारण अवकाश (ईओएल), आदि और ये लोको पायलटों सहित सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

लोको पायलटों को मुख्यालय में विश्राम, बाह्य स्टेशन विश्राम और आवधिक विश्राम निम्नानुसार दिया जाता है:-

मुख्यालय में विश्राम - रेल अधिनियम, 1989 के खंड 133 के अनुसार, रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय पहुंचने के बाद 16 घंटे का विश्राम और 30 घंटे अथवा 22 घंटे (जब कभी देय हो) का आवधिक विश्राम दिया जाता है। चूंकि आवधिक विश्राम भी एक प्रकार का मुख्यालय विश्राम है, अतः 16 घंटे के मुख्यालय विश्राम की आवश्यकता आवधिक विश्राम के दौरान पूरी हो जाती है।

बाह्य स्टेशन विश्राम - जब लोको पायलट बाह्य यात्रा पूरी करता है तब उसे बाह्य स्टेशन विश्राम भी दिया जाता है और इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

ड्यूटी के घंटे	विश्राम
5 घंटे से कम ड्यूटी के लिए	की गई ड्यूटी के घंटों के समान + 1 घंटा
5-8 घंटे की ड्यूटी के लिए	6 घंटे
8 घंटे अथवा उससे अधिक की ड्यूटी के लिए	8 घंटे

आवधिक विश्राम - रेल अधिनियम, 1989 की खंड 133 और "कार्य के घंटे एवं विश्राम अवधि", 2005 के नियम-12 के अनुसार रनिंग स्टाफ के आवधिक विश्राम के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रावधान है कि रनिंग स्टाफ को प्रत्येक माह कम से कम पांच अवधियों का विश्राम दिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक अवधि लगातार बाईस घंटों से कम नहीं होगी, अथवा कम से कम चार अवधियों का विश्राम दिया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक अवधि लगातार तीस घंटों से कम नहीं होगी, इसमें एक पूरी रात की अवधि भी शामिल होगी।

लोको पायलटों के रनिंग घंटे की सतर्कता से निगरानी की जाती है। आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, रनिंग घंटों का रिकॉर्ड रखा जाता है।

लोको रनिंग क्रू की कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए लोको पायलटों की बेहतर सुविधा के लिए बेहतर सीट और ड्राइवर डेस्क जैसी श्रम दक्ष कर्मी अनुकूल डिजाइन सुविधाओं को प्रदान किया गया है और सभी नए रेलइंजनों में वातानुकूलित कैब लगाई गई हैं। इसके अलावा, रनिंग रूम को एयर कंडीशनिंग से सुसज्जित किया गया है और रनिंग स्टाफ की सुविधा के लिए सब्सिडी वाले भोजन, फुट मसाजर और आरओ वॉटर फिल्टर जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। जहां तक माल गाड़ियों और पैसेंजर लोको पायलटों के भोजन और शौचालय हेतु अंतराल का संबंध है, यह पहले से ही प्रणाली में अंतर्निमित है।

वर्तमान में भारतीय रेल में 1.08 लाख रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका विवरण निम्नानुसार हैः-

सहायक लोको पायलटों (एएलपी), तकनीशियनों, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में उप-निरीक्षक और कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर(जेई)/डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस)/रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल कोटियों, गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) और गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (पूर्व-स्नातक), मिनिस्टीरियल एवं आइसोलेटेड कोटियां और लेवल-1 के पदों को भरने के लिए जनवरी से दिसम्बर 2024 के दौरान 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं।

55197 पदों के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा चार चरणों में पूरी की गई हैं। ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
एएलपी के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	18,40,347	156	15
तकनीशियन के पद (14,298 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	26,99,892	139	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु प्रथम	11,01,266	146	15

चरण सीबीटी			
रे.सु.ब. एस.आई के पद (452 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	15,35,635	143	15
आरपीएफ-कांस्टेबल के पद (4208 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	45,30,288	147	15
पैरामेडिकल कोटियों (1376 रिक्तियां) हेतु सीबीटी	7,08,321	143	15
गैर-तकनीकी लोकप्रिय कोटियां (स्नातक) (8113 रिक्तियां) हेतु प्रथम चरण सीबीटी	58,41,774	141	15

एएलपी (प्रथम चरण), रे.सु.ब.-एस.आई और कांस्टेबल, जेई/डीएमएस/सीएमए (प्रथम चरण) और तकनीशियनों के पदों के लिए सीबीटी के परिणाम पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं। एएलपी और जेई/डीएमएस/सीएमए के पदों के लिए द्वितीय चरण की सीबीटी भी पूरी की जा चुकी है। इनका ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

परीक्षा	अभ्यर्थी	शहर	भाषाएं
एएलपी के पद (18,799 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	2,66,363	112	15
जेई/डीएमएस/सीएमए के पद (7,951 रिक्तियां) हेतु द्वितीय चरण सीबीटी	1,17,339	118	15

एएलपी एवं जेई/डीएमएस/सीएमए पदों के लिए द्वितीय चरण सीबीटी के परिणाम पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

2024 में अधिसूचित तकनीशियनों की 14,298 रिक्तियों में से, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा 9,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों के पैनल को पहले ही मुहैया कराया जा चुका है।

इसके अलावा, वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, निम्नलिखित दो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं-

क. एएलपी की 9,970 रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 01/2025 मार्च 2025 में अधिसूचित की गई है।

ख. तकनीशियनों की 6,238 रिक्तियों के लिए केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना (सीईएन) संख्या 02/2025 जून 2025 में अधिसूचित की गई है।

भारतीय रेल के आकार, स्थानिक वितरण और परिचालनिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पदों का रिक्त होना और उन्हें भरा जाना एक सतत् प्रक्रियाएं हैं। नियमित परिचालन, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों, यंत्रीकरण और नवोन्मेषी पद्धतियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति मुहैया कराई जाती है। इन रिक्तियों को रेलवे द्वारा मुख्यतः परिचालनिक और प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेन्सियों को मांग पत्र भेजकर भरा जाता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों और संसाधनों को जुटाना तथा जनशक्ति को प्रशिक्षण देना होता है। रेलवे ने इन सभी चुनौतियों को पार किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती का सफलतापूर्वक संचालन किया। पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह के कदाचार की कोई घटना सामने नहीं आई है।

वर्ष 2004-2005 से 2013-14 की तुलना में 2014-2015 से 2024-2025 के दौरान भारतीय रेल में की गई भर्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः-

अवधि	भर्तियां
2004-2005 से 2013-14	4.11 लाख
2014-2015 से 2024-2025	5.08 लाख

इसके अलावा, प्रणालीगत सुधार के तौर पर, रेल मंत्रालय ने समूह 'ग' पदों की विभिन्न कोटियों में भर्ती के लिए वर्ष 2024 से वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित करने की एक प्रणाली शुरू की है। वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत करने से अभ्यर्थियों को निम्नानुसार लाभ होगा:

- **अभ्यर्थियों के लिए अधिक अवसर;**
- **प्रतिवर्ष योग्यता प्राप्त करने वालों को अवसर;**
- **परीक्षाओं की निश्चितता;**
- **भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्तियों में तेज़ी।**
